

राज्यपाल के अपर सचिव, राजभवन, भोपाल, 462052

एफ-16-3/रा.स./यू.ए.1/05/125

ति.

कुलपति,  
रानीदुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर (म.प्र.)

विषय:- कार्यपरिषद् में सदस्य का नाम निर्देशन।

मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (आठ) के प्रावधानान्तर्गत कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा प्रो० एम०पी० सिंह, (पूर्व संकायाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय), 124, चांदमंज मार्टिन एक्सटेंशन, सेक्टर-बी, अलीगंज (सीएम-7 के सामने) लखनऊ - 226024 फोन नं. 0522-2330089, मो० नं० 094157-59856 को "अनारक्षित वर्ग" के अन्तर्गत रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर की कार्यपरिषद् में दिनांक 24/01/2020 से 23/01/2023 तक की कालावधि के लिए सदस्य नामनिर्देशित किया जाता है।

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,  
जबलपुर के आदेशानुसार  
सही/-  
(अभव वर्मा)  
राज्यपाल के अपर सचिव  
मध्यप्रदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर




पृ० क्रमांक/अका./2020/5167 "अ"

जबलपुर, दिनांक 2/2/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. प्रो० एम०पी० सिंह, (पूर्व संकायाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय) 124, चांदमंज मार्टिन एक्सटेंशन, सेक्टर-बी, अलीगंज (सीएम-7 के सामने) लखनऊ - 226024 फोन नं. 0522-2330089, मो० नं० 094157-59856
2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण।
3. राज्यपाल के उप सचिव, राजभवन म०प्र० भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, म०प्र० शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म०प्र० शासन, भोपाल।
6. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।
7. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
8. प्रमारी कम्प्यूटर सेंटर से इस अनुरोध के साथ की इस सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के समस्त सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में इस अधिसूचना को आगामी अंक में समाचार के रूप में प्रकाशित करें।
10. विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड।
11. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर।

  
कुलसचिव 2/2/2020  
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय  
जबलपुर